	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज राजेन्द्र प्रसाद बनाम लोक सूचना अधि0 (जिला रसद अधिकारी धौ0) प्रथम अपील, (मु0संख्या 23 / 2020) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीसीएमएस न0 2020 / 00033)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
11.05.2022	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पेश की है। लोक सूचना अधिकारी को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने अपने पत्र क्रमांकः रसद / सू.अ. / 2020 / 2594 दिनांक 27.10.2020 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी / रिपोर्ट में अवगत कराया कि सूचना से सम्बधित पत्रावली तलाश कर संभलवाये जाने हेतु पूर्व कार्मिकों को पत्र लिखा गया है। इस सम्बध में इस न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी धौलपुर को पत्र क्रमांक 473 दिनांक 9.11.2020 के द्वारा अपीलान्ट को सात दिवस में सूचना उपलब्ध कराते हुये इस न्यायालय को सूचित करने हेतु लिखा गया जिसके संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने अपने पत्र क्रमांक रसद / सू.अ. / 2020 / 2729 दिनांक23.11.2020 के प्रस्तुत रिपोर्ट में अवगत कराया कि पूर्व में कार्यरत रहे कार्मिकों द्वारा वर्तमान डीलिंग कार्मिक को रिकार्ड चार्ज में नहीं सभंलवाये जाने के कारण वॉछित सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अतः हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने अपने पत्र क्रमांक रसद / सू.अ. / 2020 / 2729 दिनांक 23.11.2020 के प्रस्तुत रिपोर्ट में अवगत कराया कि पूर्व में कार्यरत रहे कार्मिकों द्वारा वर्तमान डीलिंग कार्मिक को रिकार्ड चार्ज में नहीं सभंलवाये जाने के कारण वॉछित सूचना दिया जाना संभव नहीं है। इस सम्बध में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3(22)प्रसु / सू.अ.प्र. / 06 दिनांक 2.2.2009 के बिन्दू संख्या 13 में यह अंकित किया है कि यदि आवेदक को सूचित किया जाता है कि बांछित सूचना से सम्बधित पत्रावली उपलब्ध नहीं है तो पत्रावली गुम होने का तथ्यात्मक पत्र / प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए या रिकार्ड प्रेषण / नष्टी करण रिपोर्ट होनी चाहिऐ। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र अनुसार कार्यवाही कर प्रार्थी को सूचित करें। अपीललान्ट की प्रथम अपील उपरोक्त विवेचन अनुसार निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।	

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर